भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 78B/2016-17

रतनी देवी

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार महतो 2.छक्कन लाल महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
11.11.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 945 दिनांक 14.10.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 78 B/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता रतनी देवी पति-मोहन महतो ग्राम-पान्ड्रा थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता 1. नरेन्द्र कुमार महतो 2. छक्कन लाल महतो दोनों के पिता गोपाल महतो, ग्राम-कृष्णापुर, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
सरायकेला नगरपालिका वार्ड नं0-8	301	145	14	0.10 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के ही नाम से पंजी-II में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है। आवेदिका के हिस्से में 3.80.75 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.10 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.70.75 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी', जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.10 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

11/11/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।